वायरस (कोविड -19) श्रम विभाग द्वारा 31 मार्च तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा तथा सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अपील जारी

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-19-3-2020-6.docx (http://103.203.138.54/news/195298/document/LK-19-3-2020-6.docx)

DESCRIPTION

कोरोना **वायरस (कोविड -19)**
श्रम विभाग द्वारा 31 मार्च तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा तथा सवैतनिक अवकाश प्रदान करने की अपील जारी

जयपुर, 19 मार्च। राज्य में कोरोना वायरस (कोविड -19) के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग द्वारा समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से अपील की है कि वे जनहित में अपने संस्थान के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को प्रथम चरण में 31 मार्च तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा/सवैतनिक अवकाश प्रदान कर राज्य सरकार के सहयोगी तथा सहभागी बनें।

श्रम सचिव श्री नीरज के. पवन ने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों से अपील की है कि वे अपने संस्थान के श्रमिकों तथा कर्मचारियों को इस महामारी के संक्रमण से बचाने तथा अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिये सभी संस्थान अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता एवं कोरोना वायरस से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करें। उन्होंने अपील की है कि यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यदि कोई श्रमिक एवं कर्मचारी संक्रमित पाया जाये तो उसके आस पड़ौस के लोग उससे नहीं मिलें ताकि वे संक्रमण से बचे रहें साथ ही संक्रमित व्यक्ति का उपचार सुनिश्चित किया जाये।

श्रम विभाग द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एस.डी.आर.एफ. के माध्यम से आईसोलेशन फेसीलिटी, लैब तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है उनका पूरा उपयोग किया जावे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाईजरी का ध्यान रखा जाएं और इस सम्बन्ध में अपने श्रमिकों तथा कर्मचारियों को भी समय-समय पर सूचित किया जाएं और आवश्यक प्रचार -प्रसार किया जाएं ।